HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal **2nd** Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1368/2024

In

S.B. Criminal Appeal No.881/2021

Sanjay Kumar Son Of Puran Mal, Resident Of Khidarpur Police Station Sheikhpur Ahir District Alwar (Rajasthan) (Accused Appellant Is Confined In District Jail Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Swati Sharma for Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. Mr. Anuj Kaushik for Mr. Deepak Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

18/04/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **संजय कुमार** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशिष्ठ न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कम संख्या–1, अलवर** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**145/2018, सरकार बनाम संजय कुमार** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **01.04.2021** के विरूद्ध यह **द्वितीय** सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 02.12.2021 को दोनों पक्षों को गुणावगुण पर सुनकर आदेश पारित किया जाकर निरस्त किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है, वह निर्णय की दिनांक 01.11.2018 से लगातार अभिरक्षा में है, उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग आठ वर्ष तीन माह की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन नहीं किया है। उनका यह भी तर्क है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के पर्याप्त एवं सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में घटना के समय पीडिता की आयु लगभग 09 वर्ष रही है, अपराध की प्रकृति गंभीर है, अतः प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य–सामग्री का अवलोकन किया। अपीलार्थी/अभियुक्त लगभग 08 वर्ष से अधिक अवधि से अभिरक्षा में है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह **द्वितीय** सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि

अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **18.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **संजय कुमार पुत्र श्री पूरण मल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /15